~ नियम ~

राज्य सेवा परीक्षा नियम

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ 6-3/2008/एक /1, दिनांक 27.08.2008 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आवश्यकता होने पर प्रति वर्ष निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भरती के लिए राज्य सेवा परीक्षा नामक एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगीः-

सेवा/पद की श्रेणी		
1	राज्य सिविल सेवा (उप-जिलाध्यक्ष)	द्वितीय
2	राज्य पुलिस सेवा (उप-अधीक्षक,पुलिस)	द्वितीय
3	राज्य लेखा सेवा	द्वितीय
4	वाण्जियकर अधिकारी	द्वितीय
5	जिला आबकारी अधिकारी	द्वितीय
6	सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थायें	द्वितीय
7	जिला संयोजक,आदिमजाति कल्याण	द्वितीय
8	श्रम अधिकारी	द्वितीय
9	जिला पंजीयक	द्वितीय
10	रोजगार अधिकारी	द्वितीय
11	क्षेत्र संयोजक	द्वितीय
12	खंड विकास अधिकारी	द्वितीय
13	सहायक संचालक,खाद्य/खाद्य अधिकारी	द्वितीय
14	परियोजना अधिकारी,सामाजिक/ग्रामीण गहन साक्षरता परियोजना	द्वितीय

15	अधीनस्थ सिविल सेवा (नायब तहसीलदार)	तृतीय
16	सहायक अधीक्षक,भू-अभिलेख	तृतीय
17	वाण्जियक कर निरीक्षक	तृतीय
18	आबकारी उप-निरीक्षक	तृतीय
19	परिवहन उप-निरीक्षक	तृतीय
20	सहकारिता निरीक्षक	तृतीय
21	सहायक श्रम अधिकारी	तृतीय
22	सहायक जेलर	तृतीय
23	उप-पंजीयक	तृतीय
24	सहायक संचालक जनसंपर्क	द्वितीय
25	प्राचार्य पंचायत सचिव प्रशिक्षण संस्थान	द्वितीय
26	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	द्वितीय
27	मुख्य अनुदेशक(आंगनबाड़ी/ग्राम सेविका,प्रशिक्षण केन्द्र)	द्वितीय
28	सहायक संचालक (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय
29	अधीक्षक(संस्थाएं)	द्वितीय
30	परियोजना अधिकारी(एकीकृत बाल विकास परियोजना)	द्वितीय
31	सहायक परियोजना अधिकारी(विशेष पोषण आहार कार्यक्रम)	द्वितीय
32	क्षेत्रीय संगठक(एम.डी.एम.)	द्वितीय
33	जिला सेनानी नगर सेना	द्वितीय

34	सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा	द्वितीय
35	अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त	द्वितीय
36	छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी	तृतीय

2 यह संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा निम्न चरणों में संपन्न होगीः-

- **राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जिसके माध्यम से राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जायेगा।**
- **राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार) जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सेवाओं तथा पदों के लिये उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जायेगा।**

परीक्षा की योजना तथा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम परिशिष्ट एक, दो तथा तीन के अधीन दिए अनुसार होंगे।
(एक) समस्त उम्मीदवारों को भले ही उन्होने किसी सेवा/पद विशेष को अधिमान दिया हो, परीक्षा की योजना (परिशिष्ट एक) में उल्लेखित अनुसार उतनी ही संख्या में प्रश्न पत्र देने होंगे। केवल जिला संयोजक, आदिमजाति कल्याण तथा क्षेत्र संयोजक, आदिम जाति कल्याण के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के मामले में यह आवश्यक होगा कि मुख्य परीक्षा में से समाज शास्त्र को अपने एक वैकल्पिक विषय के रूप में ले।

3. (एक) प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम, उनके द्वारा प्राप्त अंको के अनुसार क्रमिक रूप से रखे जायेंगे, इन उम्मीदवारों में से अधिक से अधिक विभिन्न प्रवर्गो के अधीन कुल पद संख्या के पन्द्रह गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह माना जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची-पृथक रूप से तैयार की जायेगी और उनके परिणाम तद्नुसार घोषित किये जायेगें, प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) परीक्षा होगी और उम्मीदवारों के अंतिम चयन के संबंध में इस परीक्षा में प्राप्त अंको पर विचार नहीं किया जाएगा।
(दो) मुख्य परीक्षा में बैठने वाले और आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए जाने वाले ऐसे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के नाम उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के क्रम में रखे जायेंगे। इन उम्मीदवारों में से, विभिन्न सेवाओं के अधीन कुल पद संख्या के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाये

जाने के लिए अर्ह माना जाएगा। इसी प्रकार अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे उम्मीदवारों की, जो साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने के लिए अर्ह पाए गए हो, एक पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(तीन) (अ) साक्षात्कार के पश्चात् आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में उन्हें दिए गए कुल अंकों के अनुसार योग्यता क्रम में रखे जायेंगे।

किसी सेवा विशेष के लिए किसी उम्मीदवार की सिफारिश करते समय, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, आवेदन में उसके द्वारा व्यक्त किये गये अधिमान पर यदि कोई हो सम्यक रूप से विचार किया जायेगा ।

(1) यदि किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र में कोई अधिमान व्यक्त न किया हो तो उसके संबंध में सभी पदों के लिए उस क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हों ।

(2) यदि उम्मीदवार अपने अधिमान वाले किसी पद के लिए अंक प्राप्त करने में सफल न हों उसके संबंध में अन्य पद/पदों के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उसी क्रम से विचार किया जायेगा जिस क्रम से वे विज्ञापन में दिए गए हैं तथापि उसका विचार उन पदों के लिए नहीं किया जायेगा जिन पदों के लिए उसने अनिच्छा व्यक्त किया हो कि उसका विचार नहीं किया जाये।

(3) उपर्युक्त सिद्धान्त अनुपूरक सूची तैयार करते समय भी लागू होगें।

(आ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के मामलों में प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची रक्षित रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार पृथक रूप से तैयार की जायेगी। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार उसके कुल अंकों के आधार पर अनारक्षित सूची में स्थान प्राप्त कर लेता है तो उसे अनारक्षित सूची में दर्शाया जाएगा और उसकी इस शर्त के अध्यधीन रक्षित रिक्त स्थानों में उसकी गणना नहीं की जाएगी कि किसी निश्चित समय में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के नाम इस प्रकार अनारक्षित सूची मे शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की कुल संख्या ऐसे कुल पदों के लिए जिनके लिए चयन किया जा रहा हो, द्वितीय श्रेणी पद के मामले मे 35 % (प्रतिशत) तथा तृतीय श्रेणी पद के मामले में 40 % (प्रतिशत) से अधिक न हो, यह इस शर्त के अध्यधीन भी होगा कि ऐसे उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2091-2500 (एक) (3) - 64 दिनांक 10.11.64 द्वारा दी गई 10 प्रतिशत तक की छूट के हकदार नहीं होंगे। सा.प्र.वि. के ज्ञा. क्र. एफ 2-1-95-1 अ.प्र. दिनांक 15 जून 95 के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग को भी 10 प्रतिशत अंकों में लाभ दिया जाएगा।

(चार) आयोग के प्रत्येक पद के लिए प्रमुख सूची में दी गई उम्मीदवारों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत तक के उम्मीदवारों की एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगा।

4 आयोग की सिफारिश प्राप्त होने के पश्चात् शासन उम्मीदवारों के बारे में ऐसी जाँच पडताल करेगा, जो वह यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से उचित समझे कि वे संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है। शासन उम्मीदवारों की नियुक्ति देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. पात्रता संबंधी शर्ते-(क) राष्ट्रीयता-उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः-उम्मीदवार के पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निगमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-1956 की धारा-3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होना चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिए।

टीप (एक) उम्मीदवार जो ऐसी किसी परीक्षा मे बैठे हो जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे, किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जो ऐसी अर्हकारी परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे ऐसे समस्त उम्मीदवारों से जो आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किए गए हो मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता होगी।

टीप (दो) ऐसे उम्मीदवार भी जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताए हों जो राज्य शासन द्वारा व्यावसायिक तथा तकनीकी उपाधि के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

(ग) आयु (अ) उम्मीदवार ने विज्ञापन जारी★ होने की तारीख के बाद की 1 जनवरी को 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 30 वर्ष ★★की आयु पूरी न की गई हो।

(2) परन्तु यह कि राज्य शासन सेवाओं की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए इन नियमों में शामिल सेवाओं में से किसी सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा में परिवर्तन कर सकता है।

(आ) ऊपर विहित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगीः-

(एक) अधिकतम पॉच वर्ष तकः यदि छत्तीसगढ़ का अधिवासी कोई उम्मीदवार ऐसी जाति या जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का हो जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित की गई हो।

(दो) अधिकतम तीन वर्ष तकः यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों में भारतीय मूल के वास्तविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हों:-

(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत प्रवजन किया होः या

(2) श्रीलंका से जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत प्रवजन किया हो या

(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से

वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी 1964 और 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान भारत प्रवजन किया हो।

(तीन) अधिकतम 8 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार ऊपर (दो) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा

वर्ग का हो तथा छ.ग. में अधिवासित हो,

(चार) अधिकतम 5 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा हो,

(पाँच) अधिकतम 2 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो,

(छः) अधिकतम 5 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञापन क्रमांक सी. 10-85-3-1, दिनांक 03.09.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रवर्तित अन्तर्जातीय विवाह योजना अधीन पुरस्कार प्राप्त युगल में उच्च जाति का हो।

(सात) अधिकतम 5 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग, (छत्तीसगढ़) के ज्ञापन क्रमांक-एफ-19-2/2005/1-3 रायपुर दिनांक 01.12.2006 के अनुसार राजीव पाण्डे पुरस्कार प्राप्त, गुण्डाधुर सम्मान प्राप्त, महाराजा प्रवीणचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाडी हो अथवा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति हो

(आठ) अधिकतम 3 वर्ष तक : सुरक्षा सेवा कर्मचारी के मामले मे, जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशान्त क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान विकलाँग हो और उसके परिणास्वरूप निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(नौ) अधिकतम 8 वर्ष तकः यदि उपर्युक्त श्रेणी (आठ) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(दस) अधिकतम 3 वर्ष तकः ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल को वास्तविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार जो वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा उसे जारी किया गया, आपातकाल प्रमाणपत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम से भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो।

(ग्यारह) अधिकतम 8 वर्ष तकः यदि उपर्युक्त श्रेणी (दस) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(बारह) अधिकतम 5 वर्ष तकः ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफीसर्स, जिनमें ई.सी.ओ./एस.एस., सी.ओ. शामिल हैं, के मामले में जिन्होने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिए हों और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता

या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवा मुक्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्मुक्त किया गया था, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवावधि उक्त तारीख से छह माह के भीतर समाप्त होने वाली हैः-

(तेरह) अधिकतम 10 वर्ष तकः यदि उपर्युक्त श्रेणी (बारह) के अन्तर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,

(चौदह) अधिकतम 10 वर्ष तकः महिलाओं के लिए-यहाँ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 07.02.1997 में प्रकाशित नियम छ0ग0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगा।

(पन्द्रह) अधिकतम 8 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार छत्तीसगढ़ शासन या राज्य शासन उपक्रम का, या तो स्थायी या अस्थायी शासकीय कर्मचारी हो।
टीपः- पद अस्थायी शासकीय कर्मचारी में ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक-2998-सी.आर. 444-एक (3)/63, दिनांक 30.11.1963 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन का कार्यभारित कर्मचारी या आकस्मिकता निधि से वेतन पाले वाला कर्मचारी हो यह छूट स्वीकार्य नहीं होगी यदि उम्मीदवार परीक्षा के या तो पहले या बाद में त्याग पत्र दे दे तथा तथापि वे पात्र बने रहेंगे यदि वे अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छटनी किए गए हो।

(सोलह) अधिकतम 3 वर्ष तकः यदि उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में पूर्ण की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की अवधि कम करने के पश्चात् बशर्ते कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।

स्पष्टीकरणः- पद "छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से अभिहित है ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी ईकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की निरन्तर अवधि तक रहा हो और रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।
(सत्रह) अधिकतम 10 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार विकलांग हो और उसने तृतीय श्रेणी सेवा/पदों के लिए आवेदन किया हो तथा उनके द्वारा कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता का सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया हो।
(अठारह) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1-2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 2 जून, 2004 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षा कर्मियों की शासकीय सेवाओं के लिये निर्धारित आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी

जाये जितने वर्ष उसने शिक्षा कर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिये 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष आयु की सीमा तक रहेगी।
टीपः- उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त राज्य सेवा में भर्ती हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा आदि के संबंध में समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।★★★

6 नियम 5 (ग) में दी गई स्थिति को छोड़ विहित आयु सीमाओं में किसी भी स्थिति में छूट नहीं दी जायेगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्मतिथि स्वीकार करेगा जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई हो। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिए गए जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे, आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी माँग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

7. (क) कोई भी पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हो या जिसकी एक पत्नी जीवित हो और वह किसी ऐसी स्थिति में विवाह करता है, जिसमें ऐसा विवाह, ऐसी पत्नी के जीवनकाल के दौरान करने के कारण अमान्य हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए, जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणामस्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी पुरूष उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(ख) कोई महिला उम्मीदवार जिसका विवाह इस कारण से अमान्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी ऐसे विवाह के समय एक जीवित पत्नी हो, ऐसी किसी भी सेवा में नियुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी, तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए कि ऐसा कोई विशेष आधार है और वह किसी महिला उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

8. उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे सेवा विशेष के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो । कोई उम्मीदवार जो ऐसी चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् जो यथास्थिति, शासन या नियुक्ति प्राधिकारी विहित करे, इन अपेक्षाओं के अनुसार न पाया जाए, नियुक्त नहीं किया जाएगा, केवल ऐसे उम्मीदवारों की चिकित्सा परीक्षा की जाएंगी, जिनके संबंध में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना हो।

9- आयोग उम्मीदवारों को किसी विशेष सेवा के लिए उनकी पात्रता के बारे में सलाह नहीं दे सकता। उम्मीदवारों को स्वयं यह देखना होगा कि क्या विहित आवश्यकता (शर्ते) पूरी करते हैं और क्या आवेदन करना उनके लिए

सार्थक होगा तथापि उम्मीदवारों का ध्यान नीचे दी गई कतिपय सेवाओं के लिए दिए गए शारीरिक मानकों की ओर आकर्षित किया जाता है। आवेदन करने के पूर्व उम्मीदवारों को इस बात से स्वयं समाधान कर लेना चाहिए कि वे ऐसी सेवा के लिए विहित न्यूनतम आवश्यकताओं (शर्तो) को पूरा करते है।

ऊँचाई और सीने के घेरे का न्यूनतम मानक

क्र.	पद का नाम	ऊँचाई	सीना		वृद्धि
		पुरूष	बिना फुलाए	फुलाने के बाद	
1	उप अधीक्षक पुलिस	168 से.मी.	84 से.मी.	89 से.मी.	5 से.मी.
2	जिला आबकारी अधिकारी	5'-4"	31"	33"	-
3	परिवहन उपनिरीक्षक	165 से.मी.	81.50 से.मी.	-	-
4	आबकारी उपनिरीक्षक	165 से.मी.	81 से.मी.	85 से.मी.	-
5	सहायक जेलर	1.65 मीटर	0.80 मीटर	-	-

10- परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जाँच के बाद जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

11. परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। इस मुद्दे पर कोई अभ्यावेदन या पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश अनन्तिम होगा, यदि बाद की तारीख के सत्यापन के समय यह पता चलता है कि, उम्मीदवार पात्रता की समस्त शर्ते पूरी नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि उसका दावा गलत पाया जाता है तो आयोग द्वारा नीचे दिए गए नियम 14 के निबंधनों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी।
इस तथ्य का कि उम्मीदवार को परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, यह अर्थ नहीं होगा कि, उसकी उम्मीदवारी को आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है या यह कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा की गई प्रविष्टियां आयोग द्वारा सही और शुद्ध रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।
यह बात ध्यान में रखी जाए कि मूल दस्तावेजों के संदर्भ में उम्मीदवार की पात्रता की शर्तो का सत्यापन उम्मीदवार के मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए जाने के बाद किया जाएगा और तब तक आयोग द्वारा उम्मीदवार की अंतिम रूप से पुष्टि नहीं कर दी जाती तब तक यह अंतिम ही रहेगी।

12. किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

13. (एक) आयु में किसी छूट या किसी अन्य रियायत के लिए दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्रों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त मूल प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए। ऐसे प्रमाण पत्र के अभाव में किसी छूट/रियायत के हकदार होने के बारे में उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा।
(दो) ऐसे उम्मीदवार को जो छत्तीसगढ़ के छटनी किए गए शासकीय सेवक के रूप में आयु छूट के लिए दावा करता है उस विभागाध्यक्ष या कार्यालय प्रमुख से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जहाँ से उसे छटनी किया गया था उसमें उसके द्वारा धारित प्रत्येक पद का नाम और प्रत्येक पद पर उनकी नियुक्ति तथा पद छोड़ने की तारीख का उल्लेख होगा और यह भी प्रमाणित किया जाएगा कि स्थापना में कटौती के कारण उसे सेवामुक्त किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।
(तीन) भूतपूर्व सैनिक के रूप में आयु में छूट का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने विगत मंत्रालय/कार्यालय से प्राप्त मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसकी प्रतिरक्षा सेवा के प्रारंभ होने तथा सेवामुक्त होने की तारीखों का उल्लेख होगा और यह कि उसे मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना सामान्य कमी के कारण, जो भी स्थिति हो, छटनी किया गया था या अधिक घोषित किया गया था। उसे रोजगार कार्यालय में अपने पंजीयन की, यदि कोई हो, एक अभिप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

14. ऐसे उम्मीदवार को , जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया होः-
(एक) जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो,
(दो) उद्धारूप प्रतिरूपण धारण किया हो, या
(तीन) किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया/किया हो,
(चार) झूठे दस्तावेज या ऐसे दस्तोवज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
(पाँच) ऐसे बयान दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी स्तर पर सारभूत जानकारी छिपाई हो, या
(छः) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो,
(सात) परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
(आठ) परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
(नौ) उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दी गई किन्हीं भी हिदायतों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या

(दस) परीक्षा कक्ष में साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो। आपराधिक अभियोजन के लिए उसे दोषी ठहराने के अलावाः-

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा के लिए जिसके लिए वह उम्मीदवार है, अयोग्य ठहराया जा सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित किया जावेगा,

(एक) आयोग द्वारा परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले चयन से

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी, परन्तु यह कि, इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी जब तक किः-

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किए अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

15. नियत अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त हुए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रत्येक आवेदन पत्र जिसमें आयोग के कार्यालय में या तो खिड़की (काउन्टर) पर डाक से प्राप्त हुए आवेदन पत्र शामिल होगे स्वीकार किया जायेगा और आवेदन की प्राप्ति के प्रतीक रूप में उम्मीदवार को आवेदन पंजीयन क्रमांक जारी कर दिया जायेगा, यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि आवेदन पत्र सभी दृष्टि से पूर्ण है और आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। आवेदन पत्र के विलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में कोई पत्र व्यवहार या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा में प्रवेश हेतु उम्मीदवार की पात्रता या अन्य बातों के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

16. आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि, वह आवेदन फार्म में दिए गए अधिमान को दृष्टि में रखकर उम्मीदवार को परीक्षा केन्द्र आवंटित करे। केन्द्र बदलने या आवेदन फार्म की कोई प्रविष्टि बदलने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. उम्मीदवार को यह देखना चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिए गये पते पर भेजी गई सूचना यदि आवश्यक हो, किसी अन्य पते पर उसे पुनः प्रेषित कर दी जाए। पते में परिवर्तन की सूचना स्वयं का पता लिखे, बिना टिकिट लगे 11.5 से.मी.x 27.5 से.मी. आकार के दो लिफाफे जल्द से जल्द आयोग को भेजकर दी जानी चाहिए। यद्यपि आयोग ऐसे परिवर्तन पर ध्यान देने का भरसक प्रयास करता है, फिर भी वह इस मामले में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

18. आयोग, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अंक सूची प्रदान नहीं करेगा क्योकि, यह केवल एक अनुवीक्षण-परीक्षा (स्क्रीनिंग-परीक्षा) होती है। अतः इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथापि, मुख्य परीक्षा

की अंक सूचियाँ उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भेजी जायेंगी।

19. आयोग, लिखित परीक्षा या मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के यात्रा या अन्य व्ययों की पूर्ति नहीं कराता है, छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो छत्तीसगढ़ में अधिवासित हो तथा पहले से सेवा में न हो, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2030-छ-आर दो, दिनांक 22.06.1963 के अनुसार यात्रा व्यय केवल बस या रेल वास्वविक किराया का भुगतान किया जायेगा। देयक फार्म संबंधित परीक्षा या मौखिक परीक्षा केन्द्रों पर उपलब्ध होंगे। इस सत्यापन के बाद कि उम्मीदवार ने वास्तव में परीक्षा दी है, भुगतान किया जायेगा।

20. किसी विशेष सेवा के लिए अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऐसा प्रशिक्षण लेना होगा और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो शासन द्वारा विहित की जाये, उन्हें छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थान पर सेवा करनी होगी और उन्हें दी गई नियुक्ति को तत्काल स्वीकार करने में समर्थ होना चाहिये। पुलिस उप-अधीक्षक के रूप नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा चुने गये उम्मीदवारों को पुलिस उप अधीक्षक के रूप में या अन्य समान हैसियत में जैसा राज्य शासन चाहे कम से कम तीन वर्षो की अवधि के लिए राज्य शासन की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करना होगा।

21. निरसन तथा अपवादः- इन नियमों से तत्संबंधी सभी नियम जो इनके प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व लागू हों, एतद् द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में निरसित किए जाते हैः-
परन्तु यह कि इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाही, इन नियमों के तत्संबंधी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही मानी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
हस्ता/-
(जेवियर तिग्गा)
उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

★छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 6-3/2008/1/एक दिनांक 16 सितम्बर, 2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

★★छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 दिनांक 16 सितम्बर, 2008 के अनुसार।

★★★छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2002/1-3 दिनांक 16 सितम्बर, 2008 के प्रावधान के अनुसार आयु सीमा होगी।

STATE SERVICES EXAMINATION RULES

As Per Order Government of Chhattisgarh, General Administration Department vide order No. Dated F 6-3/2008/one/1, Dated 27.08.2008 Combined Competitive Examination called State Services Examination for recruitment to the following services/posts may be held annually, if required by the Chhattisgarh Public Service Commission:

Class of Service /Post

1.	State Civil Service (Deputy Collector)	II
2.	State Police Service (Dy. Superintendent of Police)	II
3.	State Accounts Service	II
4.	Commercial Tax Officer	II
5.	District Excise Officer	II
6.	Assistant Registrar Cooperative Societies	II
7.	District Organiser,Tribal Walfare	II
8.	Labour Officer	II
9.	District Registrar	II
10.	Employment Officer	II
11.	Area Organiser	II
12.	Block Development Officer	II
13.	Assistant Director Food/Food Officer	II
14.	Project Officer, Social /	II

	Rural Intensive Literacy Project	
15.	Subordinate Civil Service (Naib Tahsildar)	III
16.	Assistant Superintendent Land Records	III
17.	Commercial Tax Inspector	III
18.	Excise Sub-Inspector	III
19.	Transport Sub-Inspector	III
20.	Co-operative Inspector	III
21.	Assistant Labour Officer	III
22.	Assistant Jailor	III
23.	Sub-Registrar	III
24.	Assistant Director Public Relation	II
25.	Principal,Panchayat Secretary of the Training Institute	II
26.	District Women Child Development Officer	II
27.	Chief Instructor (Anganwadi/Gram Sevikas Training Centre)	II
28.	Assistant Director (Women and Child Development)	II
29.	Superintendent (Institutions)	II
30.	Project Officer (Integrated Child Development Project)	II
31.	Assistant Project Officer (Special Nutrition Programme)	II
32.	Area Organizer (M.D.M.)	II
33.	District Commandant Home Guard	II
34.	Assistant Director Local Fund Audit	II
35.	Additional Assistant Development Commissioner	II
36.	Chhattisgarh Subordinate Account Service Officer	III

2. The combined competitive examination comprises following successive stages:

• The State Services Preliminary Examination for selection of candidates for Main Examination.

• State Services Main Examination (written Examination and Interview) for final selection of candidates for the various categories of services and post.

The Scheme of examination and syllabi of different subjects would be as given under Appendix I, II and III respectively.

(i) All candidates, irrespective of their preference for a particular service/post, will have to appear in the same number of papers as mentioned in the scheme of examination (Appendix 1). Only in the case of Candidates

applying for the post of District Organiser, Tribal Welfare and Area Organiser, Tribal Welfare it will be imperative that in the Main Examination they offer 'Sociology' as one of their optional papers.

3. (i) The candidates obtaining minimum marks in the preliminary examinations as may be fixed by the Commission in their discretion, shall be arranged in the order of marks obtained by them, Out of these candidates only about as many as equal to fifteen times at the most the total number of posts under various categories, will be deemed to qualify for the Main Examination and the results of the preliminary examination shall be announced accordingly. The list of candidates belonging to Unreserved Category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes and OBC qualifying for main examination shall be separately prepared and their results announced accordingly. Preliminary Examination will only serve as a screening test for selecting candidates for the Main Examination and marks obtained in this examination will not be considered at the time of final selection of candidates.

(ii) The candidates who appear in the Main Examination and obtain such minimum marks as may be fixed by the Commission in their discretion, will be arranged in the order of total marks obtained by them in the Main Examination. Out of these candidates only about as many as equal three times the total number of posts under various services will be deemed to qualify for being called for interview. Similarly a separate list of candidates belonging to Unreserved Category, scheduled castes, scheduled tribes and OBC who qualify for being called for interview shall be prepared.

(iii) (a) After the interview the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate of marks awarded to them in the Main Examination and the interview.

Due consideration will be given while recommending a candidate for a particular service, preference, if any expressed by him/her in the application,subject to the following conditions :-

(1) If a candidate has not expressed any preference in the application, he will be considered for all posts in the order in which these have been enumerated in the advertisement.

(2) In case a candidate does not succeed in getting any of the posts of his preference, he will be considered on the basis of his aggregate of marks for other post (s) in the order in which these have been enumerated in the advertisement. However, he shall not be considered for any post (s) for which he has expressly indicated that he would not like to be considered for it.

(3) The above principles will also apply while preparing supplementary list.

(b) Merit list for each post in the case of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC will be similarly prepared separately, to the extent of reserved vacancies. In case a candidate belonging to scheduled castes or scheduled tribes or OBC by virtue of his aggregate of marks, finds place in the unreserved list, he shall be shown in the unreserved list and will not be counted against a reserved vacancy subject to the condition that at any given point of time, as a result of such inclusion of members of scheduled castes, scheduled tribes or OBC in the unreserved list, the total number of candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes and OBC, does not exceed 35% in the case of Class II post and 40% in the case of Class III post of the total posts for which selection in being made, this will be further subject to the condition that such candidates will not be entitled to the relaxation in pass marks to the extent of 10% granted by General Administration Department Memo No. 2091-2500 (1) (3)-64, Date the 10th November 1964. 10% marks will be given to also OBC as per GAD memo F-2-1-95-1/dt 15.6.95

(iv) The Commission shall also prepare a supplementary list for each post to the extent of 25% of the total number of candidates figuring in the main list.

4. After receipt of the recommendation of the Commission, the Government shall make such enquiries about the candidate as it may deem fit in order to ensure that they are suitable in all respects for appointment to

the posts concerned. The Government reserve the right to offer appointment to the candidates.

5. Eligibility conditions -**(a) Nationality**- The candidate must be a citizen of India.

(b) Minimum educational qualification - A candidate must hold a degree of any of the Universities incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section 3 of the University Grants Commission Act. 1956 or possess an equivalent qualification.

Note -I-Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination will also be eligible for admission to the Preliminary Examination. It will be compulsory for all candidates who are declared qualified by the Commission for taking the State Services (Main) Examination to produce proof of passing the requisite examination with their application for the Main -Examination.

Note -II- Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognized by the State Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

(c) Age - (a) A candidate must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years ★★on 1st January next following the date of the advertisement★

Provided that the State Government may vary the lower and upper age limits for any of the services included in these Rules looking to the exigencies of the services.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable :-

(i) up to a maximum of five years : if a candidate domiciled in Chhattisgarh belongs to a caste or tribe notified a scheduled caste or scheduled tribe or OBC by the Government of Chhattisgarh :-

(ii) up to a maximum of 3 years : If a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from :-

(1) Burma, who migrated to India on or after 1st June, 1963; or

(2) Srilanka, who migrated to India afer 1st November, 1964; or

(3) if the Candidate is a bonafide displaced person from East Pakistan (now Bangladesh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of 8 years : (If the candidate repatriate or displaced person mentioned in (ii) supra belongs to scheduled caste, scheduled tribe or OBC as notified by Government of Chhattisgarh and domiciled in Chhattisgarh

(iv) up to a maximum of 5 years : if the candidate is a widow on her first appointment ;

(v) up to a maximum of 2 years : if the candidate holds a Green Card in his/her name under the Family Welfare Programme;

(vi) up to a maximum of 5 years: if the candidate is a forward partner of a prize winning couple under Intercaste Marriage Scheme sponsored by the Tribal, Harijan and Backward Class Welfare Department as per GAD Memo No. C-1085-3-1, dated 3-9-1985;

(vii) Up to a maximum of 5 years: if the candidate is sports person honoured with the Shaheed Rajeev pandey Award or Gundadhur Samman or Maharaja Pravirchandra Bhanjdev Samman or Rashtriya Yuva awarded as per GAD memo No- F19-2/2005/1-3 Raipur dated 01-12-2006.

(viii) up to a maximum of 3 years : in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof ;

(ix) up to a maximum of 8 years " if the candidate filling under category (viii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC ;

(x) up to a maxmmum of 3 years : in the case of a candidate who is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian passport holder) from Vietnam as also a candidate holding emergency certificate issued to him by Indian Embassy in Vietman and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xi) up to a maximum of 8 years : if the candidate falling under category (x) supra belongs to a scheduled caste or scheduled tribe or OBC :

(xii) up to a maximum of 5 years : in the case of Ex-servicemen and Commissioned Officers including ECOs/SSCOs who have rendered atleast five year Military Service as on 1st January Preceding date of Commencement of Examination and have been released on completion of assignment (including those whose assignment is due to be completed within six months form the said date) otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency or on account of physical disability attributable to Military Service or on invalidment;

(xiii) up to a maximum of 10 years : in case the candidate falling under category (xii) supra belongs to the scheduled caste or the scheduled tribe or OBC;

(xiv) up to maximum 10 years : for women candidate: As per Rajpatra (Asadharan) date 7.2.1997, Published rule C.G. civil service (Special provision of appointment for women) Rule 1997, 10 years age relaxation will be given to women candidate.

(xv) up to a maximum of 8 years : if the candidate is an employee of the Chhattisgarh Government or State Government undertakings either as a permanent or temporary Government servant.

N.B. - The term temporary Government servant includes a person borne on work-charged and contingency paid staff of the Chhattisgarh Government as per GAD memorandum No. 2998-Cr-444-1 (iii) -63, dated the 30th November 1963 . This concession will not be admissible if the candidates resign from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from service or post after submitting their application.

(xvi) up to a maximum of 3 years : if the candidate is a retrenched Government servant, after deducting from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to maximum of seven years even if it represents more than one spell;

Explanation - The term retrenched Government servant denotes a person who was in temporary Government service of the State of Chhattisgarh or any of its constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of registration at the Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(xvii) up to a maximum of 10 years: if the candidate is a handicapped and applying to the service/posts class III and must have submitted his disability certificate of not less than 40% issued by the competent authority.

(xviii) In accordance to general administration department's circular no. F 1-2/2002/1/3 dated 02/06/2004. Shiksha karmies of chhattisgarh state will be granted relaxation in maximum age limit for equal number of years for which they have worked as shiksha karmi. For calculation purpose the period of more than 6 months will be treated as one year. The benefit of this relaxation can be availed only up to 45 years.

Note:- In addition to the above mentioned provisions, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit etc. shall be applicable at the time to recruitment to the State Civil Service. ★★★

6. Save as provided in Rule 5 (c), the age limits prescribed can in no case be relaxed. The candidates should note that the Commission shall accept only such date of birth as is recorded in the matriculation or secondary school examination certificate or certificate of a examination treated equivalent thereto. No other document relating to age like horoscopoe, affidavit , birth extracts from Municipal Corporation service records and the like will be accepted. Once a date of birth has been recorded in the application form, request for any change therein will not be considered under any circumstance.

7. (a) No male candidate who has more than one wife living or who having a wife living marriage in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such wife shall be eligible for appointment to any of the services appointment to which is made on the result of this examination unless the State Government after being satisfied that there are grounds for doing so exempt any male candidate from the operation of the Rule.

(b) No female candidate whose marriage is void by reason of the husband having a wife living at the time of such marriage or who has married a person who has a wife living at the time of such marriage shall be eligible for appointment to any of the services on the result of this examination, unless the State Government after being satisfied that there are special grounds for doing so exempt any female candidate from the operation of this Rule.

8. A candidate must be in a good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the particular service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, found not to safisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates who are likely to be considered for appointment will be medically examined.

9. The Commission cannot advise candidates as to their eligibility for any particular service. It is for the candidates themselves to see whether they satisfy the prescribed requirement and whether it is worth their while to apply. However , the attention of the candidates are drawn to the physical standards laid down for certain services as given below . Before applying, the candidates should satisfy themselves that they fulfil the minimum requirements prescribed for such services.

MINIMUM STANDARD FOR HEIGHT AND CHEST GIRTH

S.No.	Name of Post	Height	Chest		Expansion
		Man	With out Exp.	With Exp.	
1.	Dy. Suprintendent of Police	168 c.m.	84 c.m.	89 c.m.	5 c.m.
2.	District Excise Officer	5'-4''	31''	33''	---
3.	Transport Sub-Inspector	165 c.m.	81.50 c.m.	---	---
4.	Excise sub-Inspector	165 c.m.	81 c.m.	85 c.m.	---
5.	Assistant Jailor	1.65 m.	0.80 m.	---	---

such inquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

11. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final. No representation or correspondence shall be entertained on this point. The admission to the preliminary examination shall be provisional. If on verification at any later date it is found that a candidate does not fulfil all the eligibility conditions his candidature shall be cancelled. If any of his claims is found to be incorrect. he may render himself liable for disciplinary action by the Commission in terms of Rule 14 given below.

The mere fact that a certificate of admission to the examination has been issued to a candidate will not imply that his candidature has been finally cleared by the Commission or that the entries made by the candidate in his application for the preliminary examination have been accepted by the Commission as true and correct.

It may be noted that verification of eligibility condition of a candidate with reference to original documents would be taken up after the candidate has qualified for the Main Examination and unless the candidature is finally confirmed by the Commission, it would continue to be provisional.

12. No candidate shall be admitted either to preliminary examination or main examination unless he /she holds a certificate of admission issued by the Commission.

13. (i) The candidates claiming any relaxation in age or any other concession must attach with their application forms appropriate certificate in original issued by the competent authority . In absence of such certificates they will not be entitled to be considered for any relaxation concession.

(ii) A candidate claiming age concession as retrenched Government servant of Chhattisgarh should produce in original a certificate from the Head of the Department or Office from where the candidate was retrenched stating the designation of each post held by him, the date of appointment and leaving in respect of each post and also certifying that he was discharged because of reduction in establishment. He should also produce an attested copy of the certificate of his registration at the Employment Exchange if any.

(iii) A candidate claiming age concession as an ex-serviceman should produce in original a certificate from his last Ministry/Office indicating the dates of commencement and discharge in respect of his defence service, and that he was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economic Unit or due to normal reduction in establishment as the case may be. He should also produce an attested copy of his registration at the Employmnet Exchange, if any.

14. A candidate who is or has been found by the Commission to be guilty of :-

(i) obtaining support for his candidature whether in the written examinations or interviews by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information at any stage of selection. ; or

(vi) resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination;or

(vii) using or attempting to use unfair means in the examination hall; or

(viii) harassing , threatening or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of examination; or

(ix) violating any of the instructions issued to the candidates alongwith their admission certificate or other instructions including oral instruction given by the centre supervisor or other staff engaged for conduct of examination; or.

(x) misbehaving in any other manner in the examination hall or in the interview, any in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,be liable.

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; and / or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period.

(i) by the Commission from any examination or selection held by them.

(ii) by the State Government from employment under; and

(c) if he is already in service under Government , to a disciplinary action under appropriate rules :

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after -

(i) giving the candidate an apportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and

(ii) taking the representation, if any submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

15. The application forms received after the prescribed date will not be considered. Every application. including the one received in Commission's office either at the counter or from post would be acknowledged and application registration number would be issued to the candidate in token of receipt of application . The fact that the application registration number has been issued to the candidate does not ipsofacto mean that application is complete in all respect and has been accepted by the Commission. No correspondence or representation will be entertained in respect of late receipt of application form. the decision of the Commission to eligibility or other wise of a candidate for admission to the examination shall be final.

16. The Commission reserve the right to allocate centre for examination to the candidate keeping in view the preference recorded in the appliation form. No application for change of centre or any other entries in the application form shall be entertained.

17. A candidate must see that the communication sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary . Change in address, should be communicated to the Commission at the earliest alongwith two self addressed unstamped envelopes of 11.5 x 27.5 cm size Although the commission make every effort to take account of such change it can not accept any responsibility in the matter

18. The Commission shall not supply mark sheets in respect of preliminary examination as it is only a screening test. As such no correspondence will be entertained in this connection . However, the mark sheets of the Main Examination will be sent to the candidates after publication of final results.

19. The Commission do not defray the travelling or other expenses of candidates called for written test of viva-voce. Candidates belonging to a caste or tribe or OBC notified for Chhattisgarh as a scheduled caste or scheduled tribe or OBC and domiciled in Chhattisgarh, who are not already in service will, however, be paid travelling allowance as per Finance Department memo No. 2030-VI -R-II, dated the 22nd June 1963. The bill

forms will be available at the respective centres of examination and viva-voce. Payment will be made after verification that the candidate had actually taken the test.

20. The candidates finally selected for a particular service will have to undergo such training and pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. they will be required to serve at any place in Chhattisgarh and should be able to take immediately an appointment when offered. Candidates selected by the Commission for appointment as Deputy Superintendent of Police will have to execute a bond to serve the State for a period not less than three years as Deputy Superintendent of Police or in other similar capacity as the State Government may desire.

21. Repeal and Saveing - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the Rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name
of the Governor of Chhattisgarh,
Sd/-
(Xavier Tigga)
Deputy Secretary
Government of Chhattisgarh
General Administration Department

★Substituted as per Notification no. F 6-3/2008/1/I dated 16 September, 2008 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department.

★★Substituted as per Circular no. F 3-2/2002/1-3 Raipur dated 16 September, 2008 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department.

★★★Age limit shall be applicable as per Circular no. F 3-2/2002/1-3 Raipur dated 16 September, 2008 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department.